

## कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

वर्षात कृत्रकाम

संख्या:-

616

/ 12-1 देहरादूनः दिनांकः

**२** न् सितम्बर, 20

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि0मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/151120/2022)

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/80/2022/एफ०सी०/443 दिनांक 30.06. 2023।

महोदय.

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30.06.2023 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 852/12—1 (2) दिनांक 22.09.2023 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गरी है जिसे निम्नानसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :—

नेवा है, जिस निन्नानुसार रासना कर प्रावस किया जा रहा है।		
क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	State Government is requested to replace the 6 ha. VDF area with some other suitable area and provide suitability certificate regarding the suitability of planning 1000/ha. trees area with remaining MDF.	As per objection the area 6.00 ha, which was found VDF has been replaced in same range and related map's and suitability certificate attached herewith.
2	State Government is requested to submit the documentary evidence to prove that the road was contructed before 1980.	User agecny replied that the project has been constructed prior to the implementation of forest clearance Act, 1980. Road side land control act of 1970 is already attached. Existing road can be seen in Survey of India toposheet released prior to year 1980.

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

(आर्०कें० मिश्र) अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या ६/६ / 12-1 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर०के० मिश्र) अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण